सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 15.09.16 को प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण एवं जिला कल्याण पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक की कार्यवाहीः–

उपस्थितिः–

सूची संलग्न

बैठक प्रारंभ करते हुए सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों का स्वागत किया गया तत्पश्चात दिनांक–22.08.16 को आयोजित समीक्षात्मक बैठक कार्यवाही में दिये गये निदेशों के अनुपालन की समीक्षा की गई।

तत्पश्चात् कंडिकावार विभाग की संचालित योजनाओं की लक्ष्य प्राप्ति हेतु समीक्षा की गई तथा निम्नांकित महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिए गएः–

(1) छात्रवृति योजना

i. **आधार कार्ड योजनाः–** भारत सरकार के अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या–17011/02/2015/Edu दिनांक–15.07.2016 के अनुसार प्री मैट्रिक छात्रवृति तथा प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति के लिए छात्र/छात्राओं का आधार (Aadhaar) होना अनिवार्य है। सरकार की विभिन्न योजनाओं में **DBT** के लिए आधार (Aadhaar) का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। इसलिए छात्रवृति योजना के लिए छात्र/छात्राओं का आधार कार्ड होना अनिवार्य है। प्रमंडलवार स्थिति निम्न प्रकार हैः–

आधार कार्ड की समीक्षा (वर्ग–9 एवं 10 छात्रवृति)

क0 सं0	प्रमंडल का नाम	वर्ग 9 से 10 तक के लाभुकों की संख्या			वर्ग 9 से 10 तक के आधार कार्ड वाले लाभुकों की संख्या			कुल प्रतिशत
		अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	कुल	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पटना	243131	4146	247277	14781	1538	16319	6.60
2	मगध	68988	716	69704	540	0	540	0.77
3	मुंगेर	24487	928	25415	1890	23	1913	7.53
4	भागलपुर	49928	8242	58170	9589	172	9761	16.78
5	पूर्णियां	11791	5145	16936	4402	1517	5919	34.95
6	सहरसा	132215	2868	135083	6450	194	6644	4.92
7	दरभंगा	26450	0	26450	15870	0	15870	60.00
8	तिरहुत	27591	2837	30428	302	58	360	1.18
9	सारण	27421	5616	33037	1771	441	2212	6.70
	कुल	**612002**	**30498**	**642500**	**55595**	**3943**	**59538**	**9.27**

आधार कार्ड की समीक्षा (प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति)

क0 सं0	प्रमंडल का नाम	प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना के लाभुकों की संख्या			प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना के आधार कार्ड वाले लाभुकों की संख्या			कुल प्रतिशत
		अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	कुल	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पटना	40579	1350	41929	4733	649	5382	12.84
2	मगध	14789	0	14789	1988	0	1988	13.44
3	मुंगेर	3811	27	3838	1909	0	1909	49.74
4	भागलपुर	2700	146	2846	0	0	0	0.00
5	पूर्णियां	1003	266	1269	620	266	886	69.82
6	सहरसा	375	8	383	191	4	195	50.91
7	दरभंगा	3593	0	3593	2156	0	2156	60.01
8	तिरहुत	6772	635	7407	1092	246	1338	18.06
9	सारण	2650	771	3421	1044	303	1347	39.37
	कुल	**76272**	**3203**	**79475**	**13733**	**1468**	**15201**	**19.13**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि छात्र/छात्राओं के लिए आधार कार्ड बनाने का कार्य धीमी गति से चल रहा है।

इस संबंध में निदेश दिया गया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के आधार की समीक्षा एवं अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाए। संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी से आधार का डाटाबेस प्राप्त कर प्रतिवेदन को अद्यतन करा लिया जाए तथा निदेशक कल्याण विषयवस्तु की समीक्षा करते हुए सप्ताहिक प्रतिवेदन सरकार को भेजना सुनिश्चित करेगे।

ii-प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजनाः– विभागीय संकल्प सं0–4061 दिनांक–16.05.16 के आलोक में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्ड के आधार पर छात्रवृति का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि **मधेपुरा (4.47%), मुंगेर(24.81%), भागलपुर (42.19%), दरभंगा (43.16%), एवं समस्तीपुर(46.90%)** में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति का वितरण संतोषजनक नही है। एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित लक्ष्य के अनुसार शत–प्रतिशत छात्रवृति का वितरण कर लिया जाए। निदेश दिया गया कि प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना के अन्तर्गत प्रतिशत के अनुसार 5 न्यूनतम छात्रवृति वितरण करनेवाले जिला से स्पष्टीकरण की माँग की जाए।

जिलावार प्रगति निम्नवत पाई गईः–

(दिनांक–14.09.2016 के प्रतिवेदन के अनुसार)

कमांक	जिला का नाम	प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना का प्रतिवेदन वर्ष–2014–15 एवं 2015–16					प्रतिशत
		2014-15		2015-16			
		भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	भौतिक लक्ष्य	हार्ड कॉपी	भौतिक उपलब्धि	
1	पटना	7110	6548	8750	7426	7020	94.53
2	नालंदा	7624	7638	8246	6706	6706	100.00
3	रोहतास	4060	2878	8474	8474	5657	66.76
4	भभुआ	6639	6639	8434	6939	6692	96.44
5	भोजपुर	1656	1473	2977	2761	2616	94.75
6	बक्सर	1793	1701	1593	1106	1063	96.11
7	गया	6685	7308	13361	12500	8186	65.49
8	जहानाबाद	1480	1480	2508	2427	2132	87.85
9	अरवल	1856	1518	1709	1365	834	61.10
10	नवादा	578	634	3792	3407	3407	100.00
11	औरंगाबाद	1438	1517	4272	4272	3792	88.76
12	सारण	433	853	3548	1850	1850	100.00
13	सिवान	585	636	1184	767	767	100.00
14	गोपालगंज	1452	1356	811	635	635	100.00
15	मुजफ्फरपुर	3216	3233	2808	2244	1779	79.28
16	सीतामढी	1661	1661	2356	1613	1613	100.00
17	शिवहर	397	397	286	200	200	100.00
18	प0 चम्पारण	1421	1421	2027	1750	1055	60.29
19	पू0 चम्पारण	1223	1093	1894	1273	751	58.99
20	वैशाली	2438	1969	2125	1138	1138	100.00
21	**दरभंगा**	**3605**	**1995**	**4690**	**4055**	**1750**	**43.16**
22	मधुवनी	592	592	2847	2533	2533	100.00
23	**समस्तीपुर**	**3105**	**3105**	**5960**	**4972**	**2332**	**46.90**
24	सहरसा	600	412	1293	640	640	100.00
25	सुपौल	387	386	286	202	202	100.00
26	**मधेपुरा**	**194**	**79**	**469**	**246**	**11**	**4.47**
27	पूर्णियां	547	547	831	543	543	100.00
28	अररिया	448	449	743	350	350	100.00
29	किशनगंज	384	384	225	225	225	100.00
30	कटिहार	1211	1211	1780	1780	1780	100.00
31	**भागलपुर**	**1992**	**1992**	**1978**	**1344**	**567**	**42.19**
32	बॉका	572	572	558	447	267	59.73
33	**मुर्गेर**	**1055**	**1055**	**1122**	**802**	**199**	24.81
34	लखीसराय	782	737	695	431	383	88.86
35	शेखपुरा	161	130	1705	1362	1293	94.93
36	जमुई	1124	1124	1479	870	732	84.14
37	खगड़िया	359	359	689	555	555	100.00
38	बेगुसराय	1422	1422	3299	2444	2206	90.26
	मुख्यालय	17149	17149	0	0	0	
	कुल	89434	85653	111804	92654	74461	80.36

राज्य स्तर पर वर्ष 2015–16 के लिए ऑन लाईन कुल 111804 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, हार्ड कॉपी के रूप में कुल–92654 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अबतक कुल 74461 छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृति की राशि विमुक्त की गई है, जो लक्ष्य से काफी कम है। कलु 80.36% प्रतिशत वितरित की गई है।

सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि संबंधित संस्थान से लंबित आवेदन पत्रों का हार्ड कॉपी प्राप्त कर लें। जिन संस्थानों द्वारा आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी नहीं दी जा रही है तो उनपर विधिसम्मत कार्रवाई की जाए। इस संबंध में जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा 30 सितम्बर, 2016 तक कार्रवाई सुनिश्चित कर लिया जाए अन्यथा छात्रवृति के बिलम्ब होने की जबाबदेही जिला कल्याण पदाधिकारी की होगी। सभी प्रमण्डलीय उपनिदेशक कल्याण अपने–अपने जिला का अनुश्रवण करेगें तथा जिनका कार्य संतोषजनक नहीं हो, उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा भेजना सुनिश्चित करेगें।

विभाग के स्तर पर गठित जाँच टीमों के द्वारा 32 फर्जी संस्थानों को चिन्हित किया गया है। उनमें से सिर्फ 8 संस्थानों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। विभागीय पत्रांक–4966 दिनांक–03.08.2016 के आलोक में फर्जी संस्थान पर प्रथम इत्तिला प्रतिवेदन (FIR) दर्ज करने का निदेश दिया गया है। सभी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी यथा रोहतास, बक्सर, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, दरभंगा, पटना एवं नालन्दा छात्रों की सूची के साथ फर्जी संस्थान पर थाना में प्रथम इत्तिला प्रतिवेदन (FIR) दर्ज करते हुए विभाग को प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेगें साथ ही अपना स्पष्टीकरण भी निदेशक, कल्याण को समर्पित करेंगे। जिनके द्वारा समीक्षोपरांत अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव दिया जाएगा।

iii. DBT योजनाः– प्री–मैट्रिक छात्रवृति योजना के तहत प्रत्येक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नामांकित छात्र/छात्राओं का विस्तृत बैंक खाता संख्या उपलब्ध करायी जाए एवं वर्ग–ix एवं x के लिए एक्सेल सीट में प्रतिवेदन 15, अक्टूबर, 2016 तक साफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी में भेजना सुनिशिचित किया जाए।

iv. प्री–मैट्रिक छात्रवृति योजनाः– प्री–मैट्रिक छात्रवृति योजना के तहत प्रत्येक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नामांकित छात्र/छात्राओं का विद्यालयवार सूचनाएँ संकलित समेकित प्रतिवेदन एक माह के अन्दर उपलब्ध करायेंगे। प्री–मैट्रिक छात्रवृति का शत–प्रतिशत वितरण करनेवाले 5 जिला यथा औरंगाबाद, पूर्णियां, अररिया, किशंनगंज एवं मधुबनी है जबकि प्री–मैट्रिक छात्रवृति का न्यूनतम वितरण करनेवाले 5 जिला यथा भागलपुर, पूर्वी चम्पारण, पटना, लखीसराय एवं सारण हैं। प्री–मैट्रिक छात्रवृति का न्यूनतम वितरण करनेवाले जिला से स्पष्टीकरण की माँग करने का निदेश दिया गया।

v. मुख्य मंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृति योजनाः– वर्ष 2015–16 में का मेधावृति का अधिकतम वितरण करनेवाले 5 जिला यथा नवादा, औरंगाबाद, गया, अरवल, एव मुजफ्फरपुर हैं जबकि न्यूनतम वितरण करनेवाले 5 जिला यथा नालन्दा, सहरसा, मधेपुरा, वैशाली एवं पटना है। न्यूनतम वितरण करनेवाले जिला से स्पष्टीकरण की माँग करने का निदेश दिया गया।

(2) अनुसूचित जाति उपयोजना (SCSP) या अनुसूचित जनजाति उप योजना(TSP) के तहत् विशेष केन्द्रीय सहायता योजनाः– सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी के माध्यम से 15, अक्टूबर, 2016 तक परियोजना प्रस्ताव उपलब्ध करायी जाए।

(3) वनबन्धु कल्याण योजनाः– इस योजना के तहत रोहतास, भभुआ, सारण, गोपालगंज, सहरसा, सुपौल, कटिहार, लखीसराय, जमुई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त है। शेष जिलों को निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी के माध्यम से 15 अक्टूबर, 2016 तक परियोजना प्रस्ताव उपलब्ध करायी जाए।

जनजातीय उप योजना के अनुश्रवण एवं समीक्षा के लिए जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किये जाने का प्रावधान है। सभी जिला स्तरीय समिति को क्रियाशील बनाया जाए।

(4) समेकित थरूहट विकास अभिकरण, प0 चम्पारण

इस विभाग के माध्यम से समेकित थरूहट विकास अभिकरण, प0 चम्पारण में संचालित है। प0 चम्पारण के जनजाति (थारू जनजाति सहित) बाहुल्य प्रखण्डों यथा बगहा–2, रामनगर, गौनाहा एवं मैनाटाड़ में योजनाओं के कार्यन्वयन के लिए बिगत वर्षो में कुल ₹4577.00 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है, जिसमें से कुल ₹3180.85 लाख की राशि व्यय की सूचना प्राप्त है। अवशेष राशि ₹1296.15 लाख है। अभिकरण द्वारा 255 योजनाओं के विरूद्ध 190 योजनाओं को पूर्ण किया गया है। शेष 65 लंबित योजनाओं को नवम्बर, 2016 तक पूर्ण कर लिया जाए, साथ ही उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायी जाए। वर्ष 2016–17 के लिए योजनाओं का चयन कर ली जाए। निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी के स्तर से टीम गठित 65 लंबित योजनाओं का भौतिक जाँच की जाए।

(5) अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम–2006 एवं नियम–2007

वनाधिकार अधिनियम के तहत् प्राप्त दावा एवं आपत्तियों का निष्पादन 2, अक्टूबर, 2016 के पूर्व शिविर लगाकर कर लिया जाए। ग्राम पंचायत स्तर की समिति से प्राप्त दावों का निष्पादन कर अनुमंडल स्तर तथा जिला स्तर पर निर्णय लेते हुए जमीन का पट्टा का वितरण किया जाए। बांका, रोहतास, कैमूर एवं गया जिला कल्याण पदाधिकारी अगली बैठक के पूर्व प्राप्त दावों का निष्पादन प्रत्येक स्तर से कराकर प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया। वन अधिकार अधिनियम से संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी ग्रामवार वन अच्छादन का प्रतिशत, वन में निवास करने वालें अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासियों का व्यक्तिगत डाटाबेस 30.09.2016 तक तैयार करने तथा जागरूकता शिविर का आयोजन करने का निदेश दिया गया।

(6) आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास का संचालन, सामग्री क्रय एवं निर्माण/जीर्णोद्धार की समीक्षा

(i) आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास का संचालन

- आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों का संचालन हेतु विभागीय पत्रांक–4681 दिनांक–15.07.2016 एवं विभागीय पत्रांक–4680 दिनांक–15.07.2016 द्वारा विस्तृत मार्गदर्शिका उपलब्ध कराई गई है।
- दिनांक–22.08.2016 को आयोजित बैठक में निदेश दिया गया था कि आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के संचालन के लिए समिति का गठन 15, सितम्बर, 2016 तक कर लिया जाए तथा इन आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों का नियमित निरीक्षण अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी एवं प्रमंडलीय उपनिदेशक(कल्याण) के द्वारा किया जाए।
- उक्त के आलोक में छात्रावास संचालन समिति का गठन एवं बैठक पटना, कटिहार, पूर्णियां, किशनगंज, शेखपुरा, शिवहर , गोपालगंज, सहरसा, एवं लखीसराय में कर लिया गया है।
- छात्रावास संचालन समिति का गठन के लिए बक्सर, रोहतास, गया, जहानाबाद, सीतामंढी, पूर्वी चम्पारण, अररिया, भागलपुर, बांका, मुंगेर एवं जमुई में संचिका जिला पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित है।
- भोजपुर, नवादा, अरवल, औरंगाबाद, सारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, प0 चम्पारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, मधेपुरा, खगडिया, एवं बेगूसराय जिला से सूचना प्राप्त नहीं है।

इस संबंध में निदेश दिया गया कि दिनांक–20 सितम्बर सें 30 सितम्बर, 2016 तक छात्रावास संचालन समिति की बैठक का आयोजन करते हुए कार्यवाही विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(ii) आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासो के लिए सामग्री क्रय

सभी आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के आवश्यकतानुसार सामगियों का क्रय जिला स्तर पर किया जाना है।

उक्त के आलोक में सामग्री क्रय के लिए जिला स्तर पर निविदा का प्रकाशन एवं जिला स्तरीय क्रय समिति की बैठक पटना, रोहतास, भभुआ, जहानाबाद, अरवल, नालन्दा, गया, नवादा, सीतामढी, शिवहर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, पूर्णियां, किशंनगंज, कटिहार, लखीसराय, शेखपुरा, एवं खगडिया में कर लिया गया है। शेष जिला यथा, भोजपुर, बक्सर, औरंगाबाद, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सुपौल, मधेपुरा, एवं बेगूसराय से कार्रवाई अपेक्षित है।

इस संबंध में निदेश दिया गया कि दिनांक–20 सितम्बर से 30 सितम्बर, 2016 तक क्रय समिति की बैठक आयोजित कर लिया जाए।

(iii) आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास का निर्माण/जीर्णोद्धार की समीक्षा

दिनांक–22.08.2016 को आयोजित बैठक में दिये गये निदेश के अनुपालन में आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावास भवनों के निर्माण/जीर्णोद्धार के लिए शौचालय–सह–बाथरूम, रनिंग वाटर आपूर्ति, विद्युतिकरण नियमित रंग–रोगन एवं चाहरदिवारी इत्यादि की योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर कराया जाना है एवं जीर्णोद्धार की योजनाओं के लिए कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग के माध्यम से तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन तैयार कराकर प्रशासनिक स्वीकृति के लिए उपलब्ध कराया जाना है।

उक्त के आलोक में पटना, गया, कैमूर किशनगंज, एवं सारण की योजनाओं से तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया, जिसकी स्वीकृति दी जा चुकी है।

- पूर्णिया जिला के आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्रों एवं जहानाबाद से छात्रावास के लिए तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन प्राप्त है।
- मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, नवादा एवं कटिहार जिला से प्राप्त मरम्मति एवं जीर्णोद्धार की योजनाओं का प्राक्कलन सक्षम प्राधिकार(भवन निर्माण विभाग) से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं है।

मरम्मति/निर्माण की लंबित योजनाओं की समीक्षा

क्र0	जिला का नाम	कुल लंबित योजनाओं की संख्या	स्वीकृति का वर्ष	अभियुक्ति
1	**गया**	11	2014–15 एवं 2015–16	गत माह से अबतक कार्य की प्रगति काफी धीमी है।
2	**प0 चम्पारण** के सिधांव, चौतरवा एवं थरूहट क्षेत्र में 400 आसन वाले आवासीय विद्यालय	7 आवासीय विद्यालय का निर्माण	2011–12, 2015–16 एवं 2016–17	2 आवासीय विद्यालय का कार्य पूर्ण है। शेष की प्रगति काफी धीमी है।
3	**नवादा (सिरदल्ला)** के आवासीय विद्यालय का निर्माण योजना	1		विद्युतिकरण का कार्य अवशेष है।
4	**भभुआ** के आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों के जीर्णोद्धार की योजना	11	2014–15 एवं 2016–17	कार्य की प्रगति काफी धीमी है।
5	मुजफ्फरपुर	6	2014–15 एवं 2015–16	कार्य की प्रगति काफी धीमी है।
6	आवासीय विद्यालय (मुढारी) नालन्दा का जीर्णोद्धार	1	2015–16	निविदा निष्पादित नही
7	आवासीय विद्यालय बक्सर का जीर्णोद्धार	2	2015–16	निविदा निष्पादित नही
8	सुपौल	1		निविदा निष्पादित नही
9	किशनगंज, अररिया, पटना, (सुगांव) पू0 चम्पारण	4	2015–16	17.55 करोड़ से नये आवासीय विद्यालय के भवनों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

इस संबंध में निदेश दिया गया कि

- आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावास भवनों के लिए मरम्मति एवं जीर्णोद्धार की योजनाओं के आवश्यकतानुसार तकनीकी अनुमोदित प्रस्ताव भवन निर्माण विभाग के माध्यम से उपलब्ध 30 सितम्बर तक विभाग को उपलब्ध कराया जाए।
- विगत वर्षो में स्वीकृत लंबित योजनाओं (गया, नवादा, भभुआ, गोपालगंज, मुंगेर, बक्सर, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पटना एवं जमुई) को संबधित भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता से सम्पर्क कर योजनाओं को पूर्ण कराने के लिए नियमित निरीक्षण एवं अनुश्रवण करें तथा योजनाओं की पूर्णता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर विभाग को प्रतिवेदित किया जाए।

(iv) जमीन की उपलब्धता

सभी संचालित आवासीय विद्यालयों का उत्क्रमण 720 आसन वाले 10+2 विद्यालय में किया जाना है।

अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय मुरौल एवं बोचहा, (मुजफ्फरपुर), बांका, सुपौल, शिवहर, शेखपुरा, दरभंगा तथा आमस, (गया) एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय किशनगंज, बांका एवं गया के लिए कम से कम 5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ।

जिला कल्याण पदाधिकारी कैमूर को बाबू जगजीवन राम योजना के तहत छात्रावास के निर्माण के लिए 1 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

उक्त के आलोक में सभी संचालित आवासीय विद्यालयों का उत्क्रमण 720 आसन वाले 10+2 विद्यालय में करने के लिए कम–से–कम 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने के लिए संबंधित जिला पदाधिकारी को पत्र भेजने का निदेश दिया गया

(v) छात्रावास अधीक्षकों का नाम एवं विवरणी का प्रतिवेदन पटना, भोजपुर, नालन्दा, रोहतास, जहानाबाद, सहरसा, मधुबनी, सारण, सिवान, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, सीतामढी, किशंनगंज, कटिहार भागलपुर, दरभंगा, भभुआ, रोहतास, गया, नवादा, सिवान, गोपालगंज, अररिया एवं जमुई से प्राप्त है। शेष जिला यथा, सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा, समस्तीपुर, बांका, गोपालगंज, मुंगेर, लखीसराय, प0 चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, पूर्णियां एवं अररिया से प्रतिवेदन अप्राप्त है।

सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे।

vi) शिक्षकों का नियोजन

- आवासीय विद्यालयों में **स्नातक स्तर के शिक्षकों के 322 रिक्त पदों** पर सेवानिवृत शिक्षकों को संविदा पर रखने का विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है। उक्त के आलोक में 15.09.2016 तक प्राप्त आवदेन पत्रों में से चयन प्रक्रिया 30.09.2016 तक पूर्ण करने का निदेश दिया गया। सूचित किया गया कि मैट्रिक स्तर के शिक्षकों के 272 रिक्त पदों पर संवानिवृत शिक्षकों को संविदा पर रखने के लिए विज्ञापन सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग का भेजा गया है।

(7) अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989

(i) जिला स्तरीय सतर्कता एवं मोनीटरिंग समिति की 19 जिलों यथा पटना, नालन्दा, भभुआ, रोहतास, बक्सर, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, सिवान, लखीसराय, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, किशंनगंज, भागलपुर, बांका, शेखपुरा एवं खगड़िया में 2 या 3 बैठकें आयोजित की गई है। जबकि 19 जिलों यथा भोजपुर, औरंगाबाद, सारण, सीतामंढी, प0 चम्पारण, पू0 चम्पारण, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णियां, अररिया, मुंगेर, जमुई, बेगूसराय एवं कटिहार में 1 बैठक आयोजित की गई है।

"जिला स्तरीय सतर्कता एवं मोनीटरिंग समिति" की बैठक 30, सितम्बर, 2016 तक आयोजित करने एवं वं बैठक की कार्यवाही विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(ii) Awarness Programme का आयोजन पटना, नालन्दा, रोहतास, भभुआ, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, सारण, शिवहर, सहरसा, पूर्णियां, कटिहार, मुंगेर, शेखपुरा एवं खगडिया में आयोजित किया गया है। शेष जिला को Awarness Programme का आयोजन 20 अक्टूबर, 2016 से पूर्व करने का निदेश दिया गया।

(iii) अत्याचार राहत अनुदान में वित्तीय वर्ष 2016–17 में ₹223.17 लाख व्यय कर अबतक 821 पीड़ितों को लाभ दिया गया है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि सभी जिला कल्याण पदाधिकारी अधिनियम–1989 के तहत अत्याचार के पीड़ितों /आश्रितों को राहत अनुदान की राशि नियमानुसार के भुगतान करें तथा पेंशन एवं अन्य लंबित मामलों की विवरणी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। अगर इस मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता हो तो माँग पत्र भेजा जाए। लाभुकों की सूची का Hard cpoy एवं Soft copy उपलब्ध करायी जाए।

(iv) अनुमंडल स्तर पर उपखण्ड स्तरीय सर्तकता और अनुश्रवण समिति 11 जिलों यथा दरभंगा, समस्तीपुर, नालन्दा, भभुआ, शिवहर, मुजफ्फरपुर, बक्सर, नवादा, जमुई, पूर्वी चम्पारण, समस्तीपुर, किशनगंज, शेखपुरा एवं कटिहार में समिति का गठन एवं बैठक आयोजित की गई है। शेष जिला को निदेश दिया गया कि "अनुमंडल स्तर पर उपखण्ड स्तरीय सर्तकता और अनुश्रवण समिति" का गठन करते हुए बैठक की कार्यवाही उपलब्ध करायी जाए।

(v) विशेष लोक अभियोजकों के कार्यो की समीक्षा 12 जिला यथा जमुई, मुंगेर, शिवहर, नवादा, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, नालन्दा, बक्सर, सिवान, सहरसा एवं कटिहार में विशेष लोक अभियोजकों के कार्यो की समीक्षा की गई है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि सभी जिलों में विशेष लोक अभियोजकों के कार्यो की समीक्षा जिला पदाधिकारी के स्तर पर की जाए। संतोषजनक कार्य नही करनेवाले विशेष लोक अभियोजकों के विरूद्ध विधि विभाग का प्रतिवेदित किया जाए।

(vi) पेंशन योजना के तहत गत माह तक **281** लाभुकों को पेंशन योजना का लाभ दिया गया। इस माह में 5 लाभुकों की संख्या में वृद्धि हुई है अर्थात कुल **286** लाभुकों को पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में निदेश दिया गया कि सभी जिला कल्याण पदाधिकारी अधिनियम–1989 की धाराओं के अन्तर्गत विगत 5 वर्षो के हत्या के मामलों की संख्या, थाना काण्ड संख्या एवं पीडितों का नाम, पूरा पता तथा हत्या के मामलों में आश्रित/विधवा को पेंशन योजना का लाभूकों की संख्या की पूर्ण विवरणी 15 अक्टूबर 2016 तक उपलब्ध कराई जाए।

(8) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गया जिला के 16 प्रखण्डों के अन्तर्गत 225 ग्रामों में संचालित है। विभाग द्वारा वर्ष–2015–16 में कुल ₹12.50 करोड़ मात्र की स्वीकृति आधारभूत संरचना के लिए दी गई है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत पूर्व में 3716 योजनाओं का चयन किया गया है जिनमें से 3286 योजनाओं को पूर्ण किया गया है। शेष 430 चालू योजनाओं को 15 अक्टूबर 2016 तक पूर्ण कर लिया जाय। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि वर्ष–2015–16 में आवंटित कुल ₹12.50 करोड़ की राशि के व्यय के लिए कार्य योजना तैयार कर योजनाओं का कार्यान्वयन समय–सीमा के अन्दर की जाए एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जाए। उपनिदेशक कल्याण, गया प्रमंडल को निदेश दिया गया कि अपने स्तर से प्रत्येक योजनाओं की नियमित रूप से समीक्षा करेगें।

(9) प्राक् परीक्षा केन्द्र

सभी प्राक् परीक्षा केन्द्रों में गुणवत्तापूर्वक एवं निर्धारित समय के अन्दर प्रशिक्षण दिया जाए। निदेश दिया गया कि अनुसूचित जाति के अधिकतम छात्र–छात्रा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सभी जिला कल्याण पदाधिकारी एवं केन्द्र निदेशक समन्वय स्थापित कर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करेगें एवं प्राक् परीक्षा केन्द्र से सफल होनेवाले छात्र/छात्राओं का पूर्ण विवरणी विभाग को उपलब्ध करायेगें।

(10) आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र

आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्रों के लिए संधारण मद में राशि उपलब्ध करायी गई है। जमुई जिला के आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्रों का मरम्मति कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है, जिला कल्याण पदाधिकारी, जमुई मरम्मति कार्य का नियमित अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया। साथ ही अन्य आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्रों के मरम्मति कार्य के लिए तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन भवन निर्माण विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(11) महादलित विकास की योजना

सभी उपनिदेशक, कल्याण एवं जिला कल्याण पदाधिकारी को बिहार महादलित विकास मिशन की योजनाएँ यथा, विकास मित्र का चयन, सामुदायिक भवन–सह–वर्क शेड का निर्माण, विशेष विद्यालय योजना एवं अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं का नियमित अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया।

- **सामुदायिक भवन–सह–वर्क शेड का निर्माण योजना** के लिए 5045 लक्ष्य निर्धारित है। जिसके विरूद्ध 4348 का स्थल चयन किया गया है। 2432 योजनाओं को पूर्ण किया गया है एवं 2313 योजनाएँ अपूर्ण हैं। सभी जिला कल्याण पदाधिकारी एवं उपनिदेशक कल्याण 15 अक्टूबर, 2016 तक योजनाओं को पूर्ण कराने के लिए विकास मित्रों को निदेश दिया जाए। जिन विकास मित्रों के द्वारा योजनाओं को पूर्ण कराने में रूचि नही लिया जा रहा है, उनपर विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए उनके नियोजन को समाप्त करने की कार्रवाई की जाए।

सामुदायिक भवन–सह–वर्क शेड का निर्माण योजना में सबसे खराब उपलब्धि वाले जिला यथा पूर्वी चम्पारण, सारण, सुपौल, भोजपुर, पटना, मुजफ्फरपुर अररिया एवं दरभंगा के संबंध में निदेश दिया गया कि संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की माँग किया जाए।

इस वित्तीय वर्ष में सामुदायिक भवन–सह–वर्क शेड का निर्माण योजना के लिए राशि व्यय करने के लिए अलग से निदेश भेजा जाएगा।

- **विकास मित्रों का नियोजन**
  विकास मित्रों के रिक्त स्थानों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया हैं है। विकास मित्रों के सभी रिक्त पदों पर नियोजन की प्रक्रिया शीध्र पूरी कर लेने का निदेश दिया गया।

अन्यान्यः– विशेष कार्य पदाधिकारी बिहार महादलित विकास मिशन के द्वारा बताया गया कि विकास मित्रों के माध्यम से निम्नांकित कार्य कराया जाना हैः–

- मिशन द्वारा उपलब्ध कराये गये विहित प्रपत्र में महादलित परिवारों का सर्वेक्षण कराया जाएगा। जिसका साफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी जिला एवं मुख्यालय स्तर पर संधारित की जाए।
- शराबबन्दी अभियान का प्रचार–प्रसार विडियो एवं प्रचार पुस्तिका (Pamphlet) के माध्यम से कराया जाएगा।

(12) ए.सी./डी.सी. एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र–

समेकित प्रतिवेदन के अनुसार 19 जिला यथा, पटना, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, गया, नवादा, औरंगाबाद, सारण, सिवान, मुजफफरपुर, प0 चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, पूर्णियाँ, भागलपुर एवं बाँका जिला में ₹50.00 करोड़ से अधिक सहायक अनुदान लम्बित है जबकि गया, पटना, प0 चम्पारण, मुंगेर, भभुआ एवं जमुई जिला में ₹1.00 करोड़ से अधिक की राशि का ए.सी. बिल के विरूद्ध डी.सी. बिल प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा बहुत बड़ी राशि का अभी तक सामंजन नहीं हुआ है।

इस संबंध में निदेश दिया गया कि एक पक्ष के अन्दर सभी जिला कल्याण पदाधिकारी अभियान चलाकर सहायक अनुदान एवं ए.सी. बिल के विरूद्ध डी.सी. बिल के लंबित मामलों का निष्पादन कर दें। साथ ही वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में प्राप्त आवंटन के आलोक में ए.सी./डी.सी. तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाए।

(13) माननीय उच्च न्यायालय में लंबित मामलेः–

CWJC के 15 मामले लंबित हैं। जिनमें से 7 मामलें में तथ्य विवरणी तैयार कर प्रतिशपथ पत्र दर्ज किया गया है। आने वाले एक पक्ष के अन्दर सभी लंबित मामलों में प्रति शपथ पत्र दायर करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाए तथा इसकी सूचना विभाग को भेजी जाए ताकि समेकित प्रतिवेदन तैयार किया जा सके।

(14) **सेवान्त लाभः–**

सेवान्त लाभ के मामलों में पेंशन, उपादान, सा0 भ0 नि0, ग्रुप बीमा एवं उपार्जित अवकाश के 18 मामलें लंबित है। लंबित ममालों में सेवानिवृत्त कर्मी माननीय उच्च न्यायालय के शरण में चले जाते हैं। इस सम्बन्ध में निम्नांकित निदेश दिए गएः–

(i) सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों/उपनिदेशक अपने–अपने कार्यालयों में लंबित मामलों की समीक्षा कर लें एवं प्राथमिकता के आधार पर सेवांत लाभों का निष्पादन करें।

(ii) किसी भी सेवांत लाभ के संबंध में कोई विपरीत आदेश पारित किया जाता है या कोई वित्तीय भार अधिष्ठापित किया जाता है तो इसकी जबावदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी एवं उनके वेतन से कटौती कर उसकी भारपाई की जायेगी। सेवान्त लाभों का निष्पादन ससमय हो। इसके लिए उप निदेशक कल्याण अपने स्तर पर पाक्षिक बैठक करेंगे तथा मासिक प्रतिवेदन निदेशक, कल्याण तथा सरकार को उपलब्ध करायेंगे। प्रतिवेदन में जिन कर्मियों की शिथिलता के कारण ससमय भुगतान सुनिश्चित नही हो सका है, उनके वेतन से वसूली संबंधी प्रस्ताव भी अपनी अनुशंसा के साथ समर्पित करेंगे तथा क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करेंगे।

(15) लम्बित विभागीय कार्यवाही:–

जिला कल्याण पदाधिकारी के 10, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी के 3, घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जानेवाले 3 प्र0 क0 पदा0, एवं अन्य के 29 मामले लंबित है। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्रों के आलोक में कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गयी।

16.9.16

(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

ज्ञापांक–1/निदे0 छात्रावास(बैठक)05–02/2014–खण्ड -5419पटना, दिनांक– 16.09.16

प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/संयुक्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/विशेष सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/9/16
उप निदेशक(मु0)।

ज्ञापांक–1/निदे0 छात्रावास(बैठक)05–02/2014–खण्ड -5419 पटना, दिनांक– 16.09.16

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(क0)/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी संबंधित विभागीय पदाधिकारी एवं कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/9/16
उप निदेशक(मु0)।

ज्ञापांक–1/निदे0 छात्रावास(बैठक)05–02/2014–खण्ड-5419 पटना, दिनांक– 16.09.16

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार,पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/9/16
उप निदेशक(मु0)।

proceeding 22.08.16